राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–04 (लो0सू0अ0)/2022–23
डॉ॰ शशि कुमार (एडवोकेट), शिव वाजार, थाना–भगवान वाजार, पोस्ट–छपरा पिन–841301, सारण

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
22.04.2022	डॉ॰ शशि कुमार (एडवोकेट), शिव वाजार, थाना–भगवान वाजार, पोस्ट–छपरा पिन–841301, सारण के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–22.04.2022 इस कार्यालय में दिनांक–22.04.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 011134 दिनांक–शुन्य संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता डॉ॰ शशि कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–22.02.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा गलत सूचना दिये जाने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–22.02.2022 की प्रति संलग्न की है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–22.02.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–12.05.2022 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 22/4/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या–04 / 2022–23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
27.07..2022	अभिलेख मेरे समक्ष आज दिनांक–27.07.2022 को उपस्थापित किया गया, जबकि दिनांक–22.04.2022 के आदेश में इसे 12.05.2022 को उपस्थापित करने का निदेश अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया गया था। अवर सचिव श्री जमील अखतर एवं संबंधित कार्यवाह सहायक श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा लिखित रूप से यह सूचित किया गया है कि संबंधित अभिलेख उन्हें दिनांक–15.07.2022 को मो॰ कलीम खॉ, सहायक द्वारा लौटाया गया तथा काफी विलंब से संचिका लौटाने की वजह पूछे जाने पर उन्होंने यह बताया की संचिका भूलवश उन संचिकाओं के साथ रख दी गई थी, जहॉ कार्रवाई संपन्न होने के उपरांत संचिका को रख दिया जाता है एवं भूलवश की गई इस गलती के कारण उन्होंने खेद व्यक्त किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत इस तरह की कार्रवाई अत्यंत ही आपत्तिजनक है तथा इसे महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव के संज्ञान में लाया जाए। विदित हो कि अपीलकर्त्ता डॉ॰ शशि कुमार ने लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपील दायर किया था। अपीलार्थी डॉ॰ कुमार द्वारा निम्नांकित सूचना की मॉग अपने प्रपत्र 'क' दिनांक–22.02.2022 के माध्यम से की गई थी:– *''मेरे द्वारा रजिस्र्टड डाक के दिनांक–22.02.2022 को महामहिम राज्यपाल, बिहार को विद्युत विभाग, सारण, छपरा के विरूद्ध प्रेषित शिकायत पत्र छायाप्रति संलग्न पर कृपया कृत कार्रवाई की सूचना दिया जाए।''* साथ ही उन्होंने उक्त प्रपत्र 'क' के साथ पत्रांक–32 / 2022 दिनांक–22.02.2022 की छायाप्रति भी संलग्न की है तथा वे इस पर कृत कार्रवाई की मॉग लोक सूचना पदाधिकारी से की है। अतः अपीलार्थी द्वारा भेजे गए उक्त पत्र दिनांक–22.02.2022 पर राज्यपाल सचिवालय के स्तर से क्या कार्रवाई हुई, तत्संबंधी सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त प्रपत्र 'क' के साथ संलग्न आवेदन दिनांक–22.02.2022 की छायाप्रति लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित करते हुए यह निदेश दिया जाता है कि इस पर की गई कार्रवाई की सूचना अपीलार्थी को एक पक्ष के अंदर उपलब्ध करा दे। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 27/7/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

अपील वाद संख्या–04 / 2022–23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
27.07..2022	अभिलेख मेरे समक्ष आज दिनांक–27.07.2022 को उपस्थापित किया गया, जबकि दिनांक–22.04.2022 के आदेश में इसे 12.05.2022 को उपस्थापित करने का निदेश अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया गया था। अवर सचिव श्री जमील अखतर एवं संबंधित कार्यवाह सहायक श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा लिखित रूप से यह सूचित किया गया है कि संबंधित अभिलेख उन्हें दिनांक–15.07.2022 को मो॰ कलीम खॉ, सहायक द्वारा लौटाया गया तथा काफी विलंब से संचिका लौटाने की वजह पूछे जाने पर उन्होंने यह बताया की संचिका भूलवश उन संचिकाओं के साथ रख दी गई थी, जहॉ कार्रवाई संपन्न होने के उपरांत संचिका को रख दिया जाता है एवं भूलवश की गई इस गलती के कारण उन्होंने खेद व्यक्त किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत इस तरह की कार्रवाई अत्यंत ही आपत्तिजनक है तथा इसे महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव के संज्ञान में लाया जाए। विदित हो कि अपीलकर्त्ता डॉ॰ शशि कुमार ने लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपील दायर किया था। अपीलार्थी डॉ॰ कुमार द्वारा निम्नांकित सूचना की मॉग अपने प्रपत्र 'क' दिनांक–22.02.2022 के माध्यम से की गई थीः– *''मेरे द्वारा रजिस्र्टड डाक के दिनांक–22.02.2022 को महामहिम राज्यपाल, बिहार को विद्युत विभाग, सारण, छपरा के विरूद्ध प्रेषित शिकायत पत्र छायाप्रति संलग्न पर कृपया कृत कार्रवाई की सूचना दिया जाए।''* साथ ही उन्होंने उक्त प्रपत्र 'क' के साथ पत्रांक–32 / 2022 दिनांक–22.02.2022 की छायाप्रति भी संलग्न की है तथा वे इस पर कृत कार्रवाई की मॉग लोक सूचना पदाधिकारी से की है। अतः अपीलार्थी द्वारा भेजे गए उक्त पत्र दिनांक–22.02.2022 पर राज्यपाल सचिवालय के स्तर से क्या कार्रवाई हुई, तत्संबंधी सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त प्रपत्र 'क' के साथ संलग्न आवेदन दिनांक–22.02.2022 की छायाप्रति लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित करते हुए यह निदेश दिया जाता है कि इस पर की गई कार्रवाई की सूचना अपीलार्थी को एक पक्ष के अंदर उपलब्ध करा दे। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 27/7/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक– 930/रा०स०(iii) दिनांक– 28/07/2022

प्रतिलिपिः– लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना / डॉ॰ शशि कुमार (एडवोकेट), शिव वाजार, थाना–भगवान वाजार, पोस्ट–छपरा पिन–841301, सारण को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/2022

विशेष कार्य पदाधिकारी